राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण-पश्चिम) का कार्यालय
पुराना टर्मिनल कर भवन, कापसहेड़ा, नई दिल्ली - 110037

संख्या: एडीएम /एलएसी/एसडब्ल्यू/2015/ 37906 **दिनांक :** 1/6/2026

<u>आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अंतर्गत सार्वजनिक सूचना</u>

1. जबकि, दिनांक 25.02.2025 की पूर्ववर्ती अधिसूचना संख्या एडीएम /एलएसी/एसडब्ल्यू/2015/12966 के द्वारा नीचे विनिर्दिष्ट भूमि को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुन:स्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत अवसंरचना परियोजना अर्थात् अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी) के निर्माण हेतु अधिसूचित किया गया था। यह संयंत्र ताजपुर खुर्द गाँव एवं आसपास के क्षेत्रों के निवासियों द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट जल का उपचार करेगा। उक्त अधिसूचना को कलेक्टर द्वारा दिनांक 25 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राजपत्र के भाग-IV में प्रकाशित किया गया तथा साथ ही इसे दिनांक 02 मई 2025 को इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेज़ी) एवं अमर उजाला (हिंदी) समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया गया।

भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (बीघा-बिस्वा)
गाँव ताजपुर खुर्द	11//13/2	1-1
	11//17/2	3-18
	11//18	4-12
	11//23	4-12
	11//24/1	4-3
	16//1/1	1-4
	16//1/2 मिन	0-4
	कुल	19-14

2. और जबकि, दिनांक 18.02.2026 की अधिसूचना संख्या एडीएम /एलएसी/एसडब्ल्यू/2015/13599 के द्वारा आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम,

Mekala Chaitanya Prasad, IAS
District Magistrate
South-West Delhi

2013 की धारा 19 के अंतर्गत पुनर्वासन तथा पुन:स्थापन योजना की घोषणा एवं सारांश को प्रकाशित किया गया तथा इसे कलेक्टर द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राजपत्र के भाग-IV में प्रकाशित किया गया, तथा साथ ही इसे दिनांक 17 मार्च, 2026 को इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेज़ी) एवं दैनिक जागरण (हिंदी) समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया गया।

3. अब, इसलिए आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अनुसरण में, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित करने के लिए यह सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि सरकार उपर्युक्त उल्लिखित भूमि का कब्जा लेने का प्रयोजन रखती है, जो "सार्वजनिक उद्देश्य" हेतु आवश्यक है तथा यह कि उक्त भूमि के संबंध में प्रतिपूर्ति, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन के दावों को सभी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अथवा किसी एजेंट/अधिवक्ता के माध्यम से यह उल्लेख करते हुए कि भूमि में उनके संबंधित हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिपूर्ति के उनके दावों की राशि और विवरण तथा पुनर्वास और पुन:स्थापन के दावे, साथ ही उनकी आपत्तियाँ, यदि कोई हो, तो उसे <u>**दिनांक 01 जुलाई, 2026 को प्रातः 11:30 बजे,**</u> ज़िला मजिस्ट्रेट (दक्षिण-पश्चिम), कापसहेड़ा, नई दिल्ली के कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किए जाएँ।

M. Chaitanya Prasad

District Magistrate South-West, Delhi

मेकला चैतन्य प्रसाद, आई.ए.एस
डीएम/डीसी/कलेक्टर
जिला दक्षिण-पश्चिम दिल्ली.

संख्या: एडीएम /एलएसी/एसडब्ल्यू/2015/37906 दिनांक : 1/6/2026

प्रतिलिपि निम्न को अनुपालन हेतु :

1. मुख्य अभियंता (डॉ0) प्रोजेक्ट-III, दिल्ली जल बोर्ड, वरुणालय, करोल बाग, नई दिल्ली - 110024 को अपने कार्यालय में प्रमुख स्थान पर इस सार्वजनिक सूचना को प्रदर्शित करने हेतु।
2. तहसीलदार (मटियाला) यह सुनिश्चित करें कि प्रभावित परिवारों को इस सावर्जनिक सूचना की प्रतियाँ उपलब्ध कराई जाएँ।
3. एनटी (भूमि अधिग्रहण शाखा) यह सुनिश्चित करें कि यह सावर्जनिक सूचना जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण-पश्चिम), एडीएम (दक्षिण-पश्चिम), एसडीएम/तहसीलदार (मटियाला) के कार्यालय के सूचना पट्ट तथा संबंधित खसरा संख्या के स्थल पर चस्पा की जाए।

4. डीआईओ (दक्षिण-पश्चिम) यह सुनिश्चित करें कि यह सूचना जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण-पश्चिम) के पोर्टल पर अपलोड की जाए।
5. वरिष्ठ सिस्टम विश्लेषक, मंडलीय आयुक्त कार्यालय, 5 शामनाथ मार्ग, दिल्ली - 110054 को राजस्व विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

प्रतिलिपि निम्न को :

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड, वरुणालय, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव (राजस्व)-सह-मंडलीय आयुक्त को जानकारी हेतु।
3. उप-सचिव, भूमि एवं भवन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, विकास भवन, नई दिल्ली - 110002
4. उप-निदेशक (एलएम), डीडीए, विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली - 110023

प्रतिलिपि निम्न को सूचना हेतु :

1. मैसर्स एलाइड रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, निवासी-फ्लैट नंबर 49, श्री हरि अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 6, सेक्टर-12, द्वारका, नई दिल्ली।

2. युद्धवीर सिंह, सुपुत्र-हरबीर सिंह, निवासी- ई-139, साकेत, नई दिल्ली।

3. मास्टर लखबीर सिंह, सुपुत्र- हरबीर सिंह, निवासी- ई-139, साकेत, नई दिल्ली।

District Magistrate South-West, Delhi

मेकला चैतन्य प्रसाद, आई.ए.एस
डीएम/डीसी/कलेक्टर
जिला दक्षिण-पश्चिम दिल्ली